

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-आव्हान निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
162/2023

दायर दिनांक

15.05.2023

उनवान

निर्णय दिनांक

30.01.2024

1. मागु पुत्र श्री भैरु भील, जाति भील, उम्र वयस्क, निवासी धांगडास तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. सम्यत पिता गोपी भील, जाति भील, उम्र वयस्क धांगडास तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
2. शम्भु पिता माधु बलाई, उम्र वयस्क, निवासी धांगडास तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
3. राजस्थान राज्य तहसीलदार साहब भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)

-विपक्षीगण

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी शंकर लाल नायक


अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 02 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-

-: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माजा धांगडास प0ह0 कान्दा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दान्धल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071-2074 के खाता संख्या 86 की अभिलिखित आराजियात 34/4 कुल क्तिता 01 कुल रकबा 1.0748 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काशत की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काशतकार है।


इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 02 के समन बाद तामिल प्राप्त होने पर भी नियत पेशी पर आदिनांक को अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 02 के विरुद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। तहसील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर तहसील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात को पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया। प्रार्थना पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में उक्त भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र द्वारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि राजा धांगडास प0ह0 कान्दा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दान्थल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071-2074 के खाता संख्या 86 की अभिलिखित आराजियात 34/4 कुल कित्ता 01 कुल रकबा 1.0748 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(आब्दाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपस्थित अधिकारी
भीलवाडा